

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(306)एम.ई./गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 27 APR 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (175)एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा, (मेरिट क्रमांक 25 सामान्य, जन्म तिथि 25.04.1982) को वरिष्ठ प्रदर्शक, माईक्रोबायोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 शर्मा को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना था।

डॉ0 अभिषेक शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (306)एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 15.11.2017 द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 12.12.2017 तक अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 अभिषेक शर्मा द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (306) एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 08.01.2018 द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 12.01.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। परन्तु डॉ0 अभिषेक शर्मा द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (298) एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 19.01.2018 द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 12.02.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे।

डॉ0 अभिषेक शर्मा द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (306) एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 05.03.2018 द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 12.03.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। उक्त आदेशों के द्वारा डॉ0 अभिषेक शर्मा को यह भी सूचित किया गया था कि उक्त समयावधि अंतिम होगी। इसके बाद कार्यग्रहण अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी, अपितु नियुक्ति आदेश निरस्त किया जावेगा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के पत्रांक एफ-2/ई/आमावि/जो/2017/6153 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 अभिषेक शर्मा ने दिनांक 16.04.2018 तक वरिष्ठ प्रदर्शक माईक्रोबायोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 अभिषेक शर्मा उक्त नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 अभिषेक शर्मा के द्वारा नवनियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(175)एम.ई./गुप-1/2017 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, माईक्रोबायोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आदेश से,

  
(स्तन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनका पत्रांक 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014-15/231 दिनांक 18.07.2017 के संबंध में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डॉ0 अभिषेक शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा, 53 पद्मावती कॉलोनी, बी किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर(राजस्थान) 302019 (रजिस्टर्ड डाक से)



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव